ग्राम पंचायत अमरोह , विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 177030 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अमरोह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री कुलभूषण	01.04.15 to 22.01.16
2	श्रीमति बबली देवी	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री मोहिंदर सिंह	01/04/2015 से 24/07/2017
2	श्री जय किशन	25/07/2017 से 31/03/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 04/15 से 03/18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹) लाखों में
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	16.81
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.25
3	10	हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालना न करना।	
4	11	हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	5.96
6	13	क्रय की गई सोलर लाइट्स, निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा/अभिलेख प्रस्तुत न करना	5.74
7	14	भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर / अभिलेख इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाए जाने बारे।	0.93

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-07-2018 से 25-07-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	02/2016	05/2015

2016-17	05/2016	03/2017
2017-18	03/2018	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत अमरोह , विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-29 दिनांक 25/07/2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थितिः -

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत: -

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	370927	83778	454705	107697	347008
2016-17	347008	64808	411816	20032	391784
2017-18	391784	92902	484686	84757	399929

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

	₹	₹	₹	₹	₹
2015-16	1042985	2069076.00	3112061	2185393.00	926668
2016-17	926668	2348016.00	3274684	2015995.00	1258689
2017-18	1258689	3210203.00	4468892	2787772	1681120

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत, अमरोह के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रमांक संख्या	रोकड़ बही	बैंक	बैंक खाता संख्या:	राशि (₹)
1	(क)	**KCCB**	**20005024530**	**399777**
2	MMAGY	**HDFC**	**50100206501131**	**246609**
3	GCB-ख	**KCCB**	**20005056595**	**409520**
4	GCB-ख	**HGB**	**8520100004763**	**9806**
5	14th F C	**PNB**	211109258685	1015185
		कुल राशि		**2080897**

5 (i) बैंक समाधान विवरणी:-

स्व स्त्रौत:	दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	₹399929
अनुदान:	दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	₹1681120
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष:		₹ 2081049
दिनांक 31.03.2018 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		₹2080897
दिनांक 31.03.2018 को हस्तगत राशि		**₹152**
कुल योग		**₹2081049**
अन्तर की राशि		**0**

5.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत अमरोह की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, हिमाचल

प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **7(3)** व **10(1)** के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹16.81 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹1681120 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 तक पंचायत राजस्व ₹25,375 शेष थी ।

(1) मोबाइल टावर शुल्क:-

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	2500	2500	5000	5000	0
2016-17	0	2500	2500	2500	0
2017-18	0	2500	2500	0	2500

(2) गृह कर:-

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	18225	18225	36450	36450	0
2016-17	0	23250	23250	17750	5500
2017-18	5500	23250	28750	5875	22875

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारेः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7 के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख अंकित होगी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करना : –

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। और कुछ बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव

के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था। भुगतान आदेश संबंधी नियम के प्रावधानों का पालन न करने के सन्दर्भ में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	कैश बुक पेज	राशि (₹)	विवरण
1	45 / 06.03.2017	GCB-226	27000/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
2	46 / 08.03.2017	GCB-226	29108/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
3	48 / 28.03.2017 49 / 28.03.2017	GCB-227	1000/- 69000/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
4	24 / 20.02.2018 25 / 18.01.2018 26 / 26.02.2018	GCB-239 GCB-239 GCB-239	43500/- 4018/- 31400/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
5	04 / 07.02.2018 05 / 08.02.2018 06 / 09.02.2018	MMAGY-02	49125/- 57690/- 246897/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
6	40 / 28.05.2015	MANREGA- 44	13446/- 13446/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
7	41 / 28.05.2015 43 / 28.05.2015	MANREGA- 44	17000/- 39250/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।
8	51 / 31.03.2017	MANREGA- 44	15678/- 15678/-	कोई भुगतान आदेश अंकित नहीं था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :30 दिनांक 25-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने के उपरांत ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.96 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, करने की औपचारिकतायें प्रावधित है।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹595588 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :30 दिनांक 25-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹5.74 लाख की मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

क्र. स.	कैशबुक	वाउचर/कैश बुक पेज संख्या:	दिनांक/मास	सामग्री का विवरण	राशि ₹
1	GCB	46/226	08/03/17	पेंट सामग्री जे.के.पुट्टी इत्यादि	29108
2	GCB	49/227	28.03.17	शोलिंग, बजरी क्रैशर, रेता क्रैशर	69000
3	GCB	24/239	20.02.2018	रेता, बजरी, गट्ट्का	43500
4	GCB	25/239	18.01.2018	सरिया	4018
5	MMAGY	04/02	07.02.2018	रेता, बजरी, गट्ट्का	49125
6	MMAGY	05/02	08.02.2018	रेता, बजरी, गट्ट्का	57690
7	MMAGY	06/02	09.02.2018	12 WATTS 16No. सोलर लाइट्स	246897
8	MANREGA	41/44	28.05.2015	बजरी छनी, रेता क्रशर	17000
9	MANREGA	42/44	28.05.2015	बजरी छनी, रेता क्रशर	17000
10	MANREGA	43/43	28.05.2015	बजरी छनी, रेता क्रशर, शोलिंग(समस्त मूल अभिलेख पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा बताया गया।)	39250
11	14thFC	26	28/03/17	भाड़ा	7000
12	14thFC	32	13/02/18	भाड़ा	8000
13	14thFC	33	13/02/18	भाड़ा	8000
कुल राशि					**595588**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्न वर्णित मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत भी करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक/ कैश बुक पेज	फर्म का नाम/ बिल नं०/ दिनांक	क्रय की गई सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹)
1	46/ 08/03/2017/ 226	मै० दिनेश कुमार हार्डवेयर स्टोर बिल नं० 234,235 / 10.02.2017	पेंट सामग्री जे.के.पुट्टी इत्यादि	29108
2	48/ 28.03.2017 / 227	मै० राजेश कुमार वाहन नं एचपी 67-4427	100 sqft शैटरिंग @ 10	1000
3	49/ 28.03.2017 / 227	मै० महावीर स्टोन क्रशर बिल नं० निल / 10.02.2017	शोलिंग, बजरी क्रैशर, रेता क्रैशर	69000
4	24/ 20.02.2018 / 239	मै० महावीर स्टोन क्रशर बिल नं० 81 / 27.02.2017	रेता, बजरी, गट्ट्का	43500
5	25/ 18.01.2018 / 239	मै० अजय हार्डवेयर इन्वाइस नं० 129 / 18.01.2018	12 एमएम सरिया 102kg @ 3940	4018
6	04/ 07.02.2018 / 02	मै० जगदंबा क्रशर कं० इन्वाइस नं० 57 / 20.01.2018	रेता, बजरी, गट्ट्का	49125
7	05/ 08.02.2018 / 02	मै० जगदंबा क्रशर कं० इन्वाइस नं० 54 / 15.01.2018	रेता, बजरी, गट्ट्का	57690
8	06/ 09.02.2018 / 02	मै० ए० वन सोलर टैक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड इन्वाइस नं० 002 / 09.02.2018	12 WATTS 16No. सोलर लाइट्स HSN कोड 8541	246897
9	41/ 28.05.2015 / 44	मै० महावीर स्टोन क्रशर बिल नं० शून्य	बजरी छनी, रेता क्रशर	17000
10	42/ 28.05.2015 / 44	मै० महावीर स्टोन क्रशर बिल नं० शून्य	बजरी छनी, रेता क्रशर	17000
11	43/ 28.05.2015 / 43	नि० संपर्क मार्ग जंजघर से जहदीप सिंह के घर तक गाँव वधियाणा (इस कार्य का समस्त अभिलेख पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा बताया गया।)	बजरी छनी, रेता क्रशर, शोलिंग	39250
			कुल योग	**₹573588**

14 ₹0.93 लाख के भुगतानों से सम्बन्धित व्यय वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:–

अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित मासों में किए गए ₹92650 के भुगतानों के संबंध में निम्नविवरण अनुसार वाउचर अंकेक्षण को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ दिनांक/ कैश बुक पेज	विवरण	राशि ₹
1	47/31.03.2017/ 65	खाता रोड़ मैंटेनेंस टू पसतल रोड़ पीडबल्यूडी	22100
2	48/31.03.2017/ 65	एफ़टीओ से अदायगी मस्ट्रोल	19380
3	52/30.03.2017/66	मस्ट्रोल, खाता नि० वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक सुखदेव शर्मा गाँव सिहाल उपरली	9520
4	53/30.03.2017/66	मस्ट्रोल, खाता नि० वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक महिंदर सिंह सपुत्र श्री मिल्खी राम गाँव बधियाना	16150

5	54/30.03.2017/66	मस्ट्रोल, खाता नि० वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक धर्म सिंह सपुत्र श्री घिसू राम अमरो	15470
6	55/30.03.2017/66	मस्ट्रोल, खाता नि० वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक बचित्र सिंह सपुत्र श्री हरनाम सिंह गाँव चुनहाल	10030
		कुल राशि	**₹92650**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 30 दिनांक 25-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, अमरोह को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था l परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अत: ₹92650 के व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है। अतः उक्त वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 मनरेगा की रोकड़ बही जांच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 02/2018 की मनरेगा रोकड़ वही जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके कारण व्यय विवरण में माह 02/2018 हेतु मनरेगा के अंतर्गत दर्शाये गए व्यय ₹140415 की पुष्टि नहीं हो सकी, मगर वित्तीय स्थिति के लिए मनरेगा से संबंधित आय-व्यय की राशी मनरेगा FTO से ली गयी अत: रोकड़ वही प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही को आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए।

16 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए|

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :25 दिनांक 20-07-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर 9 30		
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
4	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
5	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25 72 (1)	
6	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	26 72 (1)	ख
7	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72(1) (		ग)
8	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
9.	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997	8 34	
10.	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
11	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
12.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48		
13	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में विद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

20(1) विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म

समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(2) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था नें रसीद संख्या 244022 से 244026 मास 03/2018 के द्वारा ₹250 की वसूली की गई थी मगर जांच में पाया गया कि कैश बुक में केवल ₹200/-की प्रविष्टि की गई थी इस प्रकार ₹50/-की प्रविष्टि नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इस राशि को जमा नहीं किया गया था जो कि आपतिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 244051/130 दिनांक 23/07/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण द्वारा स्थल पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 43 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक व भूल को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

(3) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली:-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि पंचायत ने मास 03/2018 में विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या: 7 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण किया गया था लेकिन विवाह पंजीकरण शुल्क की देय ₹200/- की वसूली नहीं की गई थी जोकि आपत्तिजनक है अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 244052/130 दिनांक 25/07/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया, जिसकी सत्यापना अंकेक्षण द्वारा स्थल पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 43 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक व भूल को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

21 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

22 लघु आपति विवरणिका:- संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

23 निष्कर्ष:-संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता / –
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)63/2018 खण्ड—1—6722—6725 दिनांक 22.10.18 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत अमरोह, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

हस्ता/—

(राम सिंह चौहान)

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

फोन नं0 0177—2620046